भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 136

जिसका उत्तर 02.02.2023 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अतिक्रमण

136. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:

श्री मोहनभाई कुंडारिया:

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राष्ट्रीय राजमार्गों और इन पर पड़ने वाले समपारों पर बहुत अधिक अतिक्रमण हुआ है जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और यातायात के सुचारू संचालन में बाधा आती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए स्वत: संज्ञान लेती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) जी, हां । विशेष रूप से शहरी/निर्मित क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण के उदाहरण हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के नियंत्रण के प्रावधानों के अनुसार एनएच आरओडब्ल्यू पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की कार्यान्वयन एजेंसियां संबंधित जिला प्रशासन के समन्वय से समय-समय पर मार्गाधिकार से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाती हैं।

*****